न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 2/2023 निर्णय दिनांक :–30.01.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1. गजेन्द्र पुत्र रघुवीर जाति माली निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. मनोज पुत्र रघुवीर जाति माली निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. सोनू पुत्र रघुवीर जाति माली निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
4. शान्ति देवी पत्नी रघुवीर जाति माली निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.

–अप्रार्थी गण–

उपस्थिति :–
पेरोकार सरकार

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आंवटी रघुवीर पुत्र उगमा जाति माली को दिनांक 06.01.1983 को ग्राम थंवला में खसरा नम्बर 1531 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी। जिसे गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड किया गया। उक्त आवंटित भूमि के भूप्रबन्ध बाद नये खसरा नम्बर 3629 रकबा 0.83 है0 दर्ज किया गया। ग्राम थांवला से नवीन राजस्व ग्राम बनने से नये ख. नं. 3206 रकबा 0. 83 है0 बनाये गये है। उक्त गैर खातेदार को ग्राम बड़ला खसरा नम्बर 3206 रकबा 0.83 है0 मे से रकबा 0.62 है0 रकबे के खातेदारी हक प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी हक का नामान्तकरण दर्ज किया जाकर खातेदारी अधिकार दे दिया गया है। उक्त खातेदारी दिये जाने के बाद ख0न0 3368/3206 रकबा 0.21 किस्म बारानी तृतीय गैर खातेदार गजेन्द्र मनोज सोनू पिता रघवीर शान्ति देवी के नाम दर्ज रिकार्ड रह गया है जो कि भूप्रबन्ध द्वारा आंवटित भूमि के मुकाबले अधिक दर्ज कर दिये जाने से रहा है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदन पत्र के चरण सं. 4 मे अंकित भूमि मे सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री शिवकुमार चावरिया ने वकालतनामा पेश किया। परन्तु बाद मे नियत तारीख पेशी में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज भू आवटन सलाहकार समिति कैम्प थांवला दिनांक 06.01.1983 से रघुवीर पुत्र उगमा जाति माली को सिवायचक भूमि ख. नं. 1531 में क्षैत्रफल 2 बीघा 10 बिस्वा के गैर खातेदारी हक पर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की जाती है। सुपुर्दगीनामा आवंटन भूमि सिंचाई चक रकबा दिनांक 19.02.84 से सुपुर्दगी दी गई। बाद भू-प्रबन्ध ख. नं. 1531 में क्षैत्रफल 2 बीघा 10 बिस्वा के नये ख. नं. 3629 रकबा 0.83 है0 बनाये गये। ग्राम थांवला से नवीन राजस्व ग्राम बनने से नये ख. न. 3206 रकबा 0.83 है0 बनाये गये है। जबकि 2 बीघा 10 बिस्वा का है0 मे परिवर्तन करने पर 0.63 है0 होते है अर्थात अप्रार्थीगण के खाते में 0.62 है0 के स्थान पर 0.83 है0 भूमि लगा दी गई, जो कि 0.21 है0 अधिक है। तहसीलदार देवली ने प. ह. मालेडा के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2022 पर ख. नं. 3206 के नये ख. नं. 3367/3206 रकबा 0.62 है0 व ख. नं. 3368/3206 रकबा 0.21 है0 बनाकर अप्रार्थीगण जो आवंटी रघुवीर पुत्र उगमा जाति माली के जायज कायम मुकामान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार है, को ख. न. 3367/3206 रकबा 0.62 है0 के खातेदारी अधिकार दिये गये तथा ख. नं. 3368/3206 रकबा 0.21 है0 भूमि आवंटन से 0.21 है0 अधिक होने से, गैर खातेदारी के रूप में दर्ज की गई। अतः ख. नं. 3368/3206 रकबा 0.21 है0 भूमि को गैर खातेदारी से सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार देवली ने न्यायालय में प्रार्थना पेश किया है। अतः राजस्व दस्तावेजो का विवेचन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आराजी ख. नं. 3368/3206 रकबा 0.21 है0 भूमि वाके ग्राम बड़ला तहसील देवली से गैर खातेदार अप्रार्थीगण का नाम विलोपित कर, इस भूमि को सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने व नियमानुसार कब्जेराज लेने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली